न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 31/2018

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर	बनाम	1. शांतीलाल पुत्र पारसमल वार्ड संख्या 15 नयापुरा बालोतरा जिला बाड़मेर (मैसर्स महामंत्रा ट्रेडिंग कं0 कृषि उपज मण्डी बालोतरा जिला बाड़मेर का मैनेजर) 2. महावीरचन्द पुत्र पारसमल निवासी मेहता होस्पीटल के पास बालोतरा जिला बाड़मेर (मैसर्स महामंत्रा ट्रेडिंग कं0 कृषि उपज मण्डी बालोतरा जिला बाड़मेर का सोल प्रोप्राईटर) 3. ताराराम पुत्र मानाराम कुमावत सोल प्रोप्राइटर मैसर्स चाभुजा इण्डिस्ट्रीज जी.234 रीको एरिया शिवगंज जिला सिरोही

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सम्पतराज बोथरा एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय दिनांक 06.06.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 05.05.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा दौराने गश्त दोपहर 12.10 बजे मैसर्स महामंत्रा ट्रेडिंग कं0 कृषि उपज मण्डी बालोतरा पहुंचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम शांतीलाल पुत्र पारसमल वार्ड संख्या 15 नयापुरा बालोतरा जिला होना बताया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य किराणा खाद्य सामग्री के साथ आम जनता को बिक्री हेतु रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड चारभुजा (500 एमएल)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

जो चार कार्टून में रखा हुआ पाया गया। रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड चारभुजा (500 एमएल) में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के समक्ष मालिक विक्रेता को रूपये 240/– नगद अदा कर 500–500 एम.एल. की कुल 04 बोतले सीलबन्द खरीदी एवं रूपयो की रसीद/केश मीमो प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर पी. 771 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमूना लेने का स्थान एंव दिनांक अंकित की गई। प्रत्येक पैकेट पर लेबल चिपकाया। जिस पर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर कराये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी. 771 चिपकाकर मजबूत व मोटे धागे से बांधकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाहो के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौकाफर्द तैयार की गयी। समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.771 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की प्रतियां तैयार की गयी। नमूना सील जिसका प्रयोग सेम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड चारभुजा (500 एमएल) की नमूना जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर से एलएस/448/एक्ट/2017/448 दिनांक 18.5.2017 को अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार नमूना जॉच में खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड चारभुजा (500 एमएल) का नमूना पी. 771 Misbranded Under section 3 (1)(zf)(c)(i) of food Safety and Standard Act-2006 पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

तेल ब्राण्ड चारभुजा (500 एमएल) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करना पाये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.771 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पत्रावली न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोक अदालत कोर्ट केम्प न्यायालय हाजा में रखी गई थी। प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभिभाषक प्रथम एवं विप्रार्थीगण मय वकील उपस्थित हुए।

3. विप्रार्थीगण के वकील द्वारा कथन किया कि विप्रार्थी की दुकान से भरे गऐ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड चारभुजा की नमूना जांच में किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई है। विप्रार्थीगण प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाना चाहते है। विप्रार्थीगण के विरूद्व नरमाई का रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाया जायें।

4. दोनो पक्षो को सुना गया। सहायक लोक अभियोजक प्रथम द्वारा जाहिर किया गया कि परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/448/एक्ट/2017/448 दिनांक 18.5.2017 के अनुसार विप्राथीगण द्वारा बेचे जा रहे रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड चारभुजा (500 एमएल) नमूना पी.771 Misbranded Under section 3 (1)(zf)(c)(i) of food Safety and Standard Act-2006 पाया गया जिसके लिये अभियुक्त विप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है। विप्रार्थीगण पर खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 अनुसार जुर्माना आरोपित किया जाकर, उसे दण्डित किया कर प्रकरण का निस्तारण किया जायें।

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विप्रार्थीगण अभियुक्त शांतीलाल वगैरा द्वारा रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड चारभुजा (500 एमएल) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा और

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन किया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में Misbranded Under section 3 (1)(zf)(c)(i) of food Safety and Standard Act-2006 पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित होने के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 52 में अभियुक्त विप्रार्थी संख्या 01 शांतीलाल व विप्रार्थी संख्या 02 महावीर चन्द प्रत्येक पर रूपये 3000/– रूपये एवं विप्रार्थी संख्या 03 ताराराम पर रूपये 5000/– अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 06.06.2018 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 06.06..2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर